Form No-|||

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रायसिंहनगर

रमनदीप कौर बनाम श्रवण कुमार आदि

[illegible]स्म मुकदमा 212 आरटीएक्ट

जी.सी.एम.एस. आईडी 2025 / 250 नम्बर 88 / 2025

[illegible]रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
[illegible]6.2025	प्रार्थीया रमनदीप कौर पुत्री श्री मंगलसिंह पत्नी श्री जगविन्द्रसिंह जाति मजहबी साकिन 5 एनपी हाल चक 3 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर की ओर से श्री अवनीश कौशिक अधिवक्ता ने वाद–पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र. मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी के अंतरिम व्यादेश पारित करने हेतु प्रार्थना करने पर प्रार्थी को सुना गया। अप्रार्थीगण की तलबी तक अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित कर विवादित भूमि रिकॉर्ड व मौका यथास्थिति बनाये रखने हेतु निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थी सं. 1 की तरफ से श्री राजाराम धारणियां अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजों, वकील प्रार्थीगण के कथनों एवं प्रस्तुत शपथ पत्र पर प्रथम दृष्टया विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं कि वे विवादित भूमि चक 5 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 54 / 52 में दर्ज अनुसार मु.नं. 58 पं.नं. 132 / 320 की कुल 2.720 है. (नहरी 2.582 है. स्कोप 0.063 है, खाला 0.075 है.) खातेदारी भूमि पर आगामी तारीख पेशी दिनांक 31.07.2025 तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिया जाते है। अतः अप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस के भीतर रजि.ए डी नोटिस तलवाना पेश करें, एवं तलबी जारी करवा नोटिस मय स्थगन आदेश की प्रति अप्रार्थीगण को भिजवाते हुए रजि0 रसीद प्रस्तुत करें। आगामी तारीख पर अप्रार्थीगण की तलबी कराने में असफल रहने पर यह अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावे। • रास्ता / खाला के विवाद पर उक्त व्यादेश लागू नहीं होगा। • डी.आई.एल.आर.एम.पी के कार्यो व बैंक ऋण वसूली • (राको रोडा) पर उक्त व्यादेश लागू नहीं होगा। रजि0 एडी नोटिस तलवाना पेश करने पर तलबी जारी हो। अप्रार्थीगण को तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 31.07.2025 को पेश हो। (सुभाष चन्द्र) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	763 6/6/25
1[illegible]	वकील प्रार्थिया के प्रार्थना मूलवाद-पत्र प्रस्तुत होने पर पत्रावली आज पेशी में ली गई। [illegible] चालान [illegible] वकील प्रार्थिया ने Not Press किया। वकील प्रार्थिया के द्वारा Not Press करने पर प्रार्थिया का प्रार्थना-पत्र मौजूदा सूरत में खारिज [illegible] पूर्व में जारी स्थगन आदेश भी खारिज [illegible] पत्रावली फैसल में जमा होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 15:28:18 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner